Helpline No:- +91 7597122440
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 -2850551–75

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि / शै0मि0शा0 / 21 / 6622 दिनांकः– 11-2-21

कार्यपरिषद की 65 वीं बैठक दिनांक 19.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 65 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 19.01.2021 को अपरान्ह 03.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1 डॉ0 अनुला मौर्य, माननीया कुलपति महोदया, जरारासंविवि, जयपुर।
2 श्री संदेश नायक, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3 प्रो0 दीरघराम रामस्नेही, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर एवं प्राचार्य राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर।
4 प्रो0 रामकिशोर शास्त्री, श्री वैष्णव आश्रम, दारागंज, प्रयागराज–211006 (उ.प्र.)
5 डॉ0 सुभाष चन्द्र शर्मा, सह आचार्य, साहित्य विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
6 डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
7 श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, कुलसचिव, सदस्य सचिव (पदेन), जरारासंविवि, जयपुर।

डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य शिक्षा के मंगलाचरण के साथ कार्यपरिषद् के बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु संख्या	बिन्दु	निर्णय
65–1	कार्यपरिषद् की 63 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 63–25 एवं 63–26 माननीया कुलपति महोदया के आदेशानुसार पुनः विचारार्थ / निर्णयार्थ तथा उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रो0 रामकिशोर शास्त्री, कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा प्रेषित अभिमत का पत्र दिनांक 27.11.2019 विचारार्थ एवं कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक के निर्णयानुसार बिन्दु संख्या 63–27, 63–28 (डॉ0 नाथूलाल सुमन, पूर्व कार्यपरिषद सदस्य द्वारा प्रेषित खुला लिफाफा) एवं 63–29 पुनः विचारार्थ / निर्णयार्थ तथा अन्य शेष बिन्दुओं के पालनाओं की पुष्टि।	कार्यपरिषद् में राज्य सरकार के प्रतिनिधी प्रो0 रामकिशोर शास्त्री जी के पत्र को संज्ञान में लिया एवं कार्यपरिषद् द्वारा पत्र से सहमति व्यक्त करते हुए विधिपूर्वक कार्यवाही के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय द्वारा क्रमांक 19883 दिनांक 10.01.2020 को जारी किया गया। कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक के बिन्दु संख्या 63–25, 26,27,28 एवं 63–29 के बिन्दुओं को इस कार्यपरिषद् की बैठक कार्यवाही की बिन्दु संख्या 65–39, 40 पर निर्णय लिये गये है। कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक के बिन्दु संख्या 63–1 के 62–3 में उल्लेखित बैठक कार्यवाही विवरण में "जानबूझकर" को विलोपित करने का निर्णय लिया गया कि इस संबंध में समस्त निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया है। संबंधित प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट वर्तमान पदस्थापित वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार कर आगामी कार्यपरिषद् में रखे जाने का निर्णय लिया गया। कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक के क्रम में शेष बिन्दुओं के लिये प्रस्तुत निर्णय एवं पालना रिपोर्ट की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–2	कार्यपरिषद् की 64 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–3	विद्यापरिषद् की ऑनलाईन आयोजित की गई 27 वीं बैठक के कार्यवृत्त की माननीया कुलपति महोदया द्वारा 12(4)(1) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–4	विद्यापरिषद् की 28 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–5	विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्षो के पद पर नियुक्ति यूजीसी के नियमान्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर को ही नियुक्त करने बाबत् माननीया कुलपति	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

11/02/2021 11.02.21

	महोदया द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 12(4)(1) के अन्तर्गत किये जाने के संबंध में यू0ओ0 नोट क्रमांक 5587 दिनांक 04.01.2021 की पुष्टि।	
65–6	विश्वविद्यालय के अधिनियम 1998 की धारा 12(4) के अन्तर्गत माननीया कुलपति महोदया के अनुमोदन उपरान्त परीक्षा वर्ष 2017 एवं 2018 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक वितरित किये जाने के संबंध में परीक्षा नियंत्रक के यू0ओ0नोट क्रमांक 5128 दिनांक 20.11.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–7	माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 12(4)(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा वर्ष 2019 के परीक्षार्थियों को अनुचित साधनों का प्रयोग करने के फलस्वरूप अनुचित साधन प्रकरण निस्तारण समिति की अभिशंषा पर दण्डित / दोषमुक्त किये जाने का आदेश क्रमांक 760–771 दिनांक 19.10.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–8	राज्य सरकार वित्त विभाग (नियम विभाग) के आदेश क्रमांक Fo.6(5)FD(Rules)/2009 जयपुर दिनांक 10.11.2020 के तद्नुसार विश्वविद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों जिनकी ग्रेड पे 4800/– एवं एल–12 या उससे कम है तथा राज्य सेवा स्तर के अधिकारी से कम है, को 30 दिवस का तदर्थ (Ad-hoc Bonus) बोनस सत्र 2019–20 की भुगतान स्वीकृति के कार्यालय आदेश क्रमांक 3698–99 दिनांक 05.12. 2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–9	राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम विभाग) के आदेश क्रमांक Fo.6(5)FD(Rules)/2009 जयपुर दिनांक 18.10.2019 के तद्नुसार विश्वविद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों जिनकी ग्रेड पे 4800/– एवं एल–12 या उससे कम है तथा राज्य सेवा स्तर के अधिकारी से कम है, को 30 दिवस तक तदर्थ बोनस सत्र 2018–19 की भुगतान स्वीकृति का कार्यालय आदेश क्रमांक 17478–79 दिनांक 19.10.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–10	डॉ0 के0 साम्बशिवमूर्ति को विश्वविद्यालय की सेवा से दिनांक 19.11.2020 अपराह्न पश्चात् से कार्यमुक्त करने का कार्यालय आदेश क्रमांक प. (182) / जरारासंविवि / संस्था / 20 / 3632–39 दिनांक 19.11.2020 अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–11	डॉ0 प्रमोद कुमार शर्मा को विश्वविद्यालय की सेवा से दिनांक 22.10.2020 अपराह्न पश्चात् से कार्यमुक्त करने का कार्यालय आदेश क्रमांक प.(425) / जरारासंविवि / संस्था / 20 / 3135–41 दिनांक 22.10.2020 अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–12	श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, शारीरिक शिक्षक (प्रतिनियुक्ति) का प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 13.11. 2019 से 27.01.2020 तक कुल 68 कार्य दिवस की उपस्थिति का रूपये 200/–प्रति कार्य दिवस के हिसाब से कुल राशि रूपयें 13600/– (अक्षरे तेरह हजार छः सौ रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 1624–25 दिनांक 05.08. 2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–13	वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.07.2020 एवं दिनांक 24.12.2020 का बैठक कार्यवाही विवरण	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

11.02.2021

11.02.2021

	अनुमोदनार्थ / पुष्टि हेतु।	
65–14	विश्वविद्यालय में दिनांक 27.02.2020 को प्रथम बार आयोजित Interuniversity Cultural Fest State Level Yuv–स्पन्दनम 2020 के आयोजन में नृत्य, काव्यपाठ, नुक्कड नाटक, गायन आदि का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–15	पीठाध्यक्षों की परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 के बैठक कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	पीठाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में विस्तृत विचारा विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त कॉर्पस फण्ड 2.5 करोड रूपये में उल्लेखित शर्तानुसार विश्वविद्यालय को निजी स्रोतों से 2.5 करोड रूपये का कॉर्पस फण्ड मिलाकर प्राप्त होने वाले ब्याज से विश्वविद्यालय में पीठों का संचालन किया जायेगा। कार्यपरिषद् द्वारा विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को प्राप्त निजी आय से 2.5 करोड रूपये की राशि कॉर्पस फण्ड में उपलब्ध कराने हेतु शासन को नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जावे एवं प्राप्त प्रतिउत्तर के अनुसार आगामी कार्यवाही की जावे।
65–16	पीठाध्यक्षों की परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 के निर्णयानुसार पीठाध्यक्षों के नियम व कर्त्तव्य तय कराने हेतु गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत पीठाध्यक्षों के कर्त्तव्य / उत्तरदायित्व का विवरण अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–17	डॉ0 संदीप जोशी, सहायक आचार्य, अनुसंधान केन्द्र को ज्योतिष विषय में शोध निर्देशक बनाये जाने तथा एक विषय में शोध निर्देशक के रूप में पंजीकृत शिक्षक को अन्य दूसरे विषय में भी शोध निर्देशक के रूप में पंजीकृत किये जाने के प्रकरण के संबंध में निदेशक, अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रेषित यू0ओ0 नोट क्रमांक 2619 दिनांक 07.02.2020 विचारार्थ / निर्णयार्थ।	यू0जी0सी में प्रचलित नियमों के नियमानुसार पालना किये जाने का निर्णय लिया गया।
65–18	विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्य के लिए परीक्षा नियंत्रक को वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मासिक आधार पर किराये का वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में परीक्षा नियंत्रक का पत्र क्रमांक प() / जरारासंविवि / परीक्षा / 2020 / 195 दिनांक 18. 09.2020 विचारार्थ / निर्णयार्थ।	राज्य सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालय में चयनित परीक्षा नियंत्रक को वाहन उपलब्ध कराने की लिखित जानकारी प्राप्त कर ली जावें एवं प्राप्त प्रतिउत्तर आगामी कार्यपरिषद् में विचारार्थ रखा जावे।
65–19	परीक्षा 2019 की 300 उत्तरपुस्तिकाओं से अधिक उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के भुगतान के संबंध में परीक्षा नियंत्रक का यू0ओ0नोट क्रमांक 162 दिनांक 02.09.2020 विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–20	(i) सत्र 2019–20 के लिये बीरबल मैमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, नारायणपुर रोड, बानसूर, अलवर को पीजीडीसीए पाठ्यक्रम संचालन बाबत् नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सशर्त प्रदान किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 2644–49 दिनांक 15.02.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
	(ii) सत्र 2019–20 के लिये राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, चौथ का बरवाडा को अस्थाई सम्बद्धता (शास्त्री स्तर हेतु) प्रदान किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक प(274)जरारासंविवि / शैक्ष0 / 20 / 3664–70 दिनांक 05.12.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–21	(i) सत्र 2020–21 के लिये शास्त्री / आचार्य पाठ्यक्रम	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

11.02.2021 11.02.2021

	संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबंद्धता समिति की बैठक दिनांक 04.09. 2020 व 24.09.2020 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर शास्त्री/आचार्य महाविद्यालयों को सत्र 2020–21 के लिए "लेखाशाखा से निर्धारित शुल्क के प्राप्त होने के पुष्टिकरण के अध्यधीन" अस्थाई संबंद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 3035–41 दिनांक 21.10. 2020 की पुष्टि।	
	(ii) सत्र 2020–21 के लिये एकवर्षीय योग डिप्लोमापाठ्यक्रम (PGDYT)/त्रैमासिक योग सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (YIC) संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता में अभिवृद्धि हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबंद्धता समिति की बैठक दिनांक 04.09.2020 व 24.09. 2020 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर शास्त्री/आचार्य महाविद्यालयों को सत्र 2020–21 के लिए विभिन्न शर्तो के अध्यधीन" अस्थाई संबंद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 3043–49 दिनांक 21.10. 2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
	(iii) सत्र 2020–21 के लिये पीजीडीसीए पाठ्यक्रम संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबंद्धता समिति की बैठक दिनांक 04.09.2020 व 24.09.2020 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर शास्त्री/आचार्य महाविद्यालयों को सत्र 2020–21 के लिए विभिन्न शर्तो की पूर्ति सात दिवस मे करने के अध्यधीन" अस्थाई संबंद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 3051–57 दिनांक 21.10.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
	(iv) सत्र 2020–21 के लिये शोध पाठ्यक्रम संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबंद्धता समिति की बैठक दिनांक 04.09.2020 व 24.09. 2020 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर शास्त्री/आचार्य महाविद्यालयों को सत्र 2020–21 के लिए "विश्वविद्यालय की लेखाशाखा द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने के पुष्टीकरण के अध्यधीन" अस्थाई संबंद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने का	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

11.02.2021

	कार्यालय आदेश क्रमांक 3093–3102 दिनांक 21.10.2020 की पुष्टि।	
	(v) सत्र 2020–21 के लिये कर्मकाण्ड पौरोहित्य पाठ्यक्रम संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबंद्धता समिति की बैठक दिनांक 04.09.2020 व 24.09.2020 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर शास्त्री/आचार्य महाविद्यालयों को सत्र 2020–21 के लिए विभिन्न शर्तों की पूर्ति सात दिवस में करने के अध्यधीन अस्थाई संबंद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 3084–91 दिनांक 21.10.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
	(vi) सत्र 2020–21 के लिये ज्योतिष वास्तु डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबंद्धता समिति की बैठक दिनांक 04.09.2020 व 24.09.2020 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर शास्त्री/आचार्य महाविद्यालयों को सत्र 2020–21 के लिए विभिन्न शर्तों की पूर्ति सात दिवस में करने के अध्यधीन अस्थाई संबंद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 3075–81 दिनांक 21.10.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–22	विश्वविद्यालय की सत्र 2021–22 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों की महाविद्यालयों/संस्थानों हेतु अस्थाई संबद्धता में अभिवृद्धि/नवीन अस्थाई संबद्धता हेतु संबद्धता शुल्क निर्धारित किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक प( )/जरारासंविवि/शैक्ष0/2020/5381–87 दिनांक 23.12.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–23	शिक्षण सत्र 2019–20 के लिये विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत अनाथ/निर्धन/बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालय कार्मिक के पुत्र/पुत्री को निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के लिये गठित समिति की अभिशंषा पर विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क में मुक्ति का कार्यालय आदेश क्रमांक 17195–17208 दिनांक 14.11.2019 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–24	श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, शासन सचिवालय, जयपुर एवं पूर्व वित्त नियंत्रक, जरारासंविवि का पत्र क्रमांक 1600 दिनांक 18.10. 2020 विचारार्थ/निर्णयार्थ।	संबंधित पत्र पर विस्तृत रिपोर्ट वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार कर आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
65–25	विश्वविद्यालय में ग्रेड पे–3600/– या इससे कम के अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर भर्ती राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड के माध्यम से कराये जाने हेतु उपशासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप–3), शासन सचिवालय,	प्रकरण पर विस्तृत चर्चा कर प्रस्ताव अनुसार संबंधित भर्ती को विश्वविद्यालय स्तर पर ही संपादित करने हेतु कुलाधिपति महोदय को पत्र प्रेषित किया जाकर अनुमति लिये जाने की कार्यवाही की जाये।

11.02.2021 11.02.2021

	जयपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक 18230–33 दिनांक 27.11.2019 की पुष्टि।	
65–26	कुलपति आवास के किराये में अभिवृद्धि हेतु परिनियम में संशोधन विचारार्थ/निर्णयार्थ।	कुलपति आवास का किराया वित्त विभाग, राज्य सरकार के परामर्श अनुसार सदन में विस्तृत चर्चा कर 10,000/–रूपये के स्थान पर 40,000/–रूपये प्रति माह तक संशोधन कुलपति महोदया द्वारा जिस तिथि से स्वयं के स्तर पर किराये के मकान हेतु एग्रीमेन्ट किया गया है, उसी तिथि से संशोधन की अभिशंषा की गई। तदानुसार ही परिनियम में संशोधन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का निर्णय लिया गया।
65–27	विश्वविद्यालय में निजी सचिव का वेतनमान अन्य विश्वविद्यालयों की भांति वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे 6000 स्वीकृति का प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ।	निजी सचिव का वेतनमान नियमों के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर प्रकरण को राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
65–28	विश्वविद्यालय परिनियम के बिन्दु संख्या 13(7) के अनुसार "विश्वविद्यालय में वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के लिए किसी परीक्षक को आवंटित की गई उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या तीन सौ से अधिक नहीं होगी परन्तु यह कि पूरक परीक्षाओं के मामले में यह संख्या दो सौ से अधिक नहीं होगी।" उक्त बिन्दु संख्या 13(7) को विलोपित करने के प्रस्ताव संबंधी यू0ओ0नोट क्रमांक 457 दिनांक 17.12.2020 विचारार्थ/निर्णयार्थ।	प्रस्तावानुसार परिनियम में संशोधन की अभिशंषा की गई।
65–29	विश्वविद्यालय में अनुसंधान केन्द्र द्वारा विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) तथा विद्यावाचस्पति (डी.लिट.) हेतु विश्वविद्यालय में प्रचलित नियमों में संशोधन/परिवर्धन कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार नियम तैयार करने हेतु अनुसंधान बोर्ड की बैठक दिनांक 19.08.2020 में की गई संस्तुति के संबंध में निदेशक, अनुसंधान केन्द्र का यू0ओ0नोट क्रमांक 3809 दिनांक 23.12.2020 अनुमोदनार्थ।	विस्तृत चर्चा की गई एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस संबंध में नियमों की पूर्ण पालना की शर्त पर विद्यावारिधी (पीएचडी) तथा विद्यावाचस्पति (डी0लिट) के अनुसार नियमों को लागू करने की संस्तुति की गई।
65–30	विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की 5वीं बैठक में इस विश्वविद्यालय में RSR के नियम लागू किये गये थे। विश्वविद्यालय के स्वयं के सेवानियमों के अभाव में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रचलित नियमों को RSR के स्थान पर लागू किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	1. जब तक विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम तैयार नहीं होते तब तक इस विश्वविद्यालय के परिनियम और अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए शेष नियम राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रचलित नियम यथा समय–समय पर संशोधनानुसार को विश्वविद्यालय में नियमानुसार लागू करने की अभिशंषा की गई। 2. विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में तैयार नियमों को राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को अधिकृत किया गया तथा नियमानुसार संशोधन हेतु आवश्यक कमेटी का गठन मानदेय सहित कुलपति महोदय के स्तर पर करवाकर नियमों को शासन स्तर पर अनुमोदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने व प्रगति रिपोर्ट आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
65–31	वित्त (व्यय–1) विभाग, राजस्थान सरकार की आई.डी. संख्या 102004076 दिनांक 14.09.2020 एवं राज्य सरकार शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के आदेश क्रमांक प18(6)शिक्षा–6/2018 दिनांक 18.09.2020 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में विश्वविद्यालय के उन सभी कार्मिकों के लिए जिन पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

11.02.2021

	1996 के अनुसार पेशन देय है, के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2017 के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन संख्या प.12(6)विवि. /नियम/2017/पार्ट–1 दिनांक 06.06.2018 एवं पत्रांक 05.10.2018 तथा इस संबंध में जारी विभिन्न नियमों/परिपत्रों की पालना करते हुए पेंशन संशोधन किए जाने की स्वीकृति का कार्यालय आदेश क्रमांक 5727–5731 दिनांक 05.01.2021 अनुमोदनार्थ।	
65–32	परीक्षा 2020 की 300 उत्तरपुस्तिकाओं से अधिक उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के भुगतान के संबंध में परीक्षा नियंत्रक का यू0ओ0नोट क्रमांक 672 दिनांक 07.01.2021 विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
65–33	राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 से संबंधित राज्यपाल महोदय एवं राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों/आदेशों को विश्वविद्यालय में नियमानुसार लागू किये जाने हेतु यू0 ओ0 नोट क्रमांक 6049 दिनांक 18.01.2021 अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
65–34	विश्वविद्यालय द्वारा जारी ई–बोली 02/2020 कम्प्यूटर ऑपरेटर, पिओन, प्लम्बर एवं इलेक्ट्रिशियन की सेवाऐं जॉब बेसिस पर लेने हेतु, ई–बोली 03/2020 स्टेशनरी व अन्य आईटम क्रय हेतु तथा 04/2020 मैस एवं कैन्टन संचालन हेतु के बोली दस्तावेज एवं शर्तें आदि अनुमोदन हेतु प्राप्त यू0ओ0नोट क्रमांक 6041 दिनांक 16.01.2021 अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
65–35	विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों (एस0एफ0एस योजना) के अन्तर्गत पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु प्राप्त यू0ओ0नोट क्रमांक 6048 दिनांक 18. 01.2021 के साथ संलग्न गाईडलाईन/नियमों का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
65–36	विश्वविद्यालय के निरीक्षण बोर्ड का बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 08.01.2021 अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
65–37	माननीया कुलपति महोदया द्वारा पिताजी की स्मृति में 1.00 लाख रूपये विद्यार्थियों को छात्रवृति हेतु जमा कराये गये है। इस क्रम में विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक स्तर पर नियम तैयार कर लागू किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रकरण विचारार्थ।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
65–38	विश्वविद्यालय में अन्य निगम/बोर्ड से इस विश्वविद्यालय में समायोजित 06 कार्मिकों के पेंशन भुगतान के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन/निर्देश का प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ।	विश्वविद्यालय के 06 समायोजित कार्मिकों (1. श्री सर्वेश कुमार शर्मा, 2. श्री सुभाष वर्मा, 3. श्री भंवर लाल सैन, 4. श्री दूलीचन्द वर्मा, 5. श्री घनश्याम शर्मा, 6. श्री सत्यनारायण शर्मा) को राज्य सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार पेंशन विश्वविद्यालय की निजी आय से नियमानुसार भुगतान की अभिशंषा की गई। इसके लिए पेंशन फण्ड बनाया जाये, जिसकी विस्तृत रूपरेखा कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार की जाकर अगली कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करेंगे।
65–39	अधिवक्ता श्री तनवीर अहमद से प्राप्त कानूनी नोटिस–श्री महेश शर्मा, सहायक आचार्य के संबंध में विधिक सलाह बिन्दुवार प्रस्तुत करने हेतु श्री विभूतिभूषण शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च शिक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को नियुक्त किया गया। विधिक सलाह महाधिवक्ता से पत्र दिनांक 12.	सदस्य सचिव द्वारा कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक की पत्रावली एवं संबंधित दस्तावेज, प्राप्त अभिमत एवं प्रपत्रों के सम्पूर्ण तथ्यों से सदन को अवगत कराया। विश्वविद्यालय को अधिवक्ता श्री तनवीर अहमद से प्राप्त कानूनी नोटिस–श्री महेश शर्मा, सहायक आचार्य के संबंध में, श्री विभूतिभूषण शर्मा अतिरिक्त महाधिवक्ता,

	01.2021 को प्राप्त हुआ। प्राप्त विधिक राय के पत्र पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा इसे कार्यपरिषद् में रखे जाने के प्रदत्त आदेश की पालना में अधिवक्ता का नोटिस, कार्यालय की तथ्यात्मक टिप्पणी व इस हेतु प्राप्त विधिक राय प्रकरण के संदर्भ में प्रस्ताव कार्यपरिषद् के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।	उच्च शिक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से प्राप्त विधिक राय कार्यपरिषद् के सम्मुख प्रस्तुत की गई। कार्यपरिषद् के सदस्य श्री रामकिशोर शास्त्री के इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् द्वारा निम्नानुसार सहमति प्रदान की गई– 1. श्री महेश शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन की अपील को स्वीकार करते हुए श्री महेश शर्मा को दिये गये ज्ञापन संख्या 1726 दिनांक 16.05.2016 में 09 आरोपों के विरूद्ध चार वेतन वृद्धियां (संचयी प्रभाव से) रोके जाने के आदेश क्रमांक 13010 दिनांक 29.01.2018 की कार्यपरिषद् के द्वारा पुष्टि न करते हुए इस संदर्भ में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री विभूतिभूषण शर्मा उच्च शिक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा अधिवक्ता श्री तनवीर अहमद से प्राप्त कानूनी नोटिस के संबंध में दी गई विधिक राय को स्वीकार करते हुए श्री शर्मा की चार वेतनवृद्धियों (संचयी प्रभाव से) को बहाल करती है। उक्त प्रकरण में दी गई ज्ञापन संख्या 1726 दिनांक 16.05.2016 को निरस्त करते हुए भविष्य के लिये निम्नानुसार चेतावनी दी जाती है:– 1. श्री महेश शर्मा के पीएचडी षाण्मासिक प्रशिक्षण कोर्स वर्क के परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया व इस हेतु श्री शर्मा को भविष्य के लिये चेतावनी दी जाए कि विश्वविद्यालय में या अन्य संस्था में पीएचडी/अन्य प्रशिक्षण/शैक्षणिक कार्य हेतु आवेदन बिना अनुमति के नहीं करें तथा अन्य विश्वविद्यालय/संस्था में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व उच्चाधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। 2. श्री महेश शर्मा को लिखित चेतावनी दी जावे कि भविष्य में विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के विरूद्ध और शैक्षिक जगत की गरिमा के विरूद्ध गतिविधीयों में शामिल न हो।.
65–40	विश्वविद्यालय में तीन कार्यरत कार्मिकों (श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी, डॉ0 माताप्रसाद शर्मा व श्री महेश शर्मा) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 की धारा 16 में अन्तर्गत जारी आरोप पत्रों पर की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में गठित जांच समिति की रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्यपरिषद् के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की गई।	इस बिन्दु पर विचार के समय डॉ0 माताप्रसाद शर्मा कार्यपरिषद् की बैठक से प्रकरण संबंधित होने के कारण कुलपति महोदय के निर्देश पर बैठक से बाहर चले गये। सदस्य सचिव कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में संबंधित पत्रावलियों पर माननीय कुलपति महोदया द्वारा निम्नानुसार निर्णय प्रदान किये गये है:– 1. श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी, परीक्षा नियंत्रक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 की धारा 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 14165 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा कुल 02 आरोपों के क्रम में श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी अभिलेखो का भलिभांति परीक्षण व जांच कमेटी द्वारा विधिवत् परीक्षण कर गुण–दोष पर जांच संपादित की है, जो ग्राह्य है। अतः श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। 2. श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी, परीक्षा नियंत्रक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 की धारा 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 14172 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा कुल

11.02.2021

		07 आरोपों के क्रम में श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी अभिलेखो का भलिभांति परीक्षण व जांच कमेटी द्वारा विधिवत् परीक्षण कर गुण—दोष पर जांच संपादित की है, जो ग्राह्य है। अतः श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। 3. डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य शिक्षा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 की धारा 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 14147 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा कुल 04 आरोपों के क्रम में श्री नाथूलाल सुमन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर तत्कालीन कुलपति के अनुमोदन उपरान्त डॉ0 माताप्रसाद शर्मा को दोषमुक्त के आदेश जारी किये गये किन्तु इस संबंध में श्री प्रकाशानन्द से जांच प्रक्रिया दोषपूर्ण व कमेटी द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जांच करने से संबंधित शिकायत के बंद लिफाफे को तत्कालीन कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये, जिस पर कुलपति स्तर से गठित जांच समिति से पुनः परीक्षण कराया गया। कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति प्रस्तुत की गई कि जब कुलपति द्वारा एक आरोपी को दोषमुक्त किया जा चुका है तो अब कृत कार्यवाही में तब तक दखलअंदाजी नहीं हो सकती जब तक कि कुलपति द्वारा दोषमुक्त संबंधी आदेश समाप्त ना हो जाये। कमेटी ने यह भी संस्तुति दी है कि क्या कुलपति को स्वयं के आदेश को रिव्यू करने का अधिकार है। इस प्रकार कुलपति द्वारा दोषमुक्त संबंधी आदेश के बाद सी0सी0ए0 नियम 16 के प्रावधान के नियम के तहत पुनः जांच प्रक्रिया नहीं हो सकती। अतः श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की तीन सदस्यीय समिति की आख्या से कुलपति महोदय द्वारा सहमति प्रकट करते हुए तत्कालीन कुलपति द्वारा जो दोषमुक्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है वह यथावत लागू रहने व रिव्यू की आवश्यकता नहीं को स्वीकार करते हुए श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। 4. डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य शिक्षा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 की धारा 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 14153 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा कुल 05 आरोपों के क्रम में श्री नाथूलाल सुमन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर तत्कालीन कुलपति के अनुमोदन उपरान्त डॉ0 माताप्रसाद शर्मा को दोषमुक्त के आदेश जारी किये गये किन्तु इस संबंध में श्री प्रकाशानन्द से जांच प्रक्रिया दोषपूर्ण व कमेटी द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जांच करने से संबंधित शिकायत के बंद लिफाफे को तत्कालीन कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये,

जिस पर कुलपति स्तर से गठित जांच समिति से पुनः परीक्षण कराया गया। कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति प्रस्तुत की गई कि जब कुलपति द्वारा एक आरोपी को दोषमुक्त किया जा चुका है तो अब कृत कार्यवाही में तब तक दखलअंदाजी नहीं हो सकती जब तक कि कुलपति द्वारा दोषमुक्त संबंधी आदेश समाप्त ना हो जाये। कमेटी ने यह भी संस्तुति दी है कि क्या कुलपति को स्वयं के आदेश को रिव्यू करने का अधिकार है। इस प्रकार कुलपति द्वारा दोषमुक्त संबंधी आदेश के बाद सी0सी0ए0 नियम 16 के प्रावधान के नियम के तहत पुनः जांच प्रक्रिया नहीं हो सकती।

अतः श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की तीन सदस्यीय समिति की आख्या से कुलपति महोदय द्वारा सहमति प्रकट करते हुए तत्कालीन कुलपति द्वारा जो दोषमुक्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है वह यथावत लागू रहने व रिव्यू की आवश्यकता नहीं को स्वीकार करते हुए श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

5. डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य शिक्षा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 की धारा 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 14159 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा कुल 02 आरोपों के क्रम में श्री नाथूलाल सुमन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर तत्कालीन कुलपति के अनुमोदन उपरान्त डॉ0 माताप्रसाद शर्मा को दोषमुक्त के आदेश जारी किये गये किन्तु इस संबंध में श्री प्रकाशानन्द से जांच प्रक्रिया दोषपूर्ण व कमेटी द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जांच करने से संबंधित शिकायत के बंद लिफाफे को तत्कालीन कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये, जिस पर कुलपति स्तर से गठित जांच समिति से पुनः परीक्षण कराया गया। कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति प्रस्तुत की गई कि जब कुलपति द्वारा एक आरोपी को दोषमुक्त किया जा चुका है तो अब कृत कार्यवाही में तब तक दखलअंदाजी नहीं हो सकती जब तक कि कुलपति द्वारा दोषमुक्त संबंधी आदेश समाप्त ना हो जाये। कमेटी ने यह भी संस्तुति दी है कि क्या कुलपति को स्वयं के आदेश को रिव्यू करने का अधिकार है। इस प्रकार कुलपति द्वारा दोषमुक्त संबंधी आदेश के बाद सी0सी0ए0 नियम 16 के प्रावधान के नियम के तहत पुनः जांच प्रक्रिया नहीं हो सकती।

   अतः श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की तीन सदस्यीय समिति की आख्या से कुलपति महोदय द्वारा सहमति प्रकट करते हुए तत्कालीन कुलपति द्वारा जो दोषमुक्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है वह यथावत लागू रहने व रिव्यू की आवश्यकता नहीं को स्वीकार करते हुए श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

6. श्री महेश शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन के विरूद्ध

		राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 की धारा 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र क्रमांक 14177 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा कुल 06 आरोपों के क्रम में श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या को माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी अभिलेखो का भलिभांति परीक्षण व जांच कमेटी द्वारा विधिवत् परीक्षण कर गुण–दोष पर जांच संपादित की है, जो ग्राह्य है। अतः श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की त्रिसदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुमोदन का प्रस्ताव स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। कार्यपरिषद् सदस्य श्री रामकिशोर शास्त्री द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावानुसार उक्त प्रकरणों में श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी, डॉ0 माताप्रसाद शर्मा एवं श्री महेश शर्मा को श्री उपेन्द्र नारायण ठाकुर की त्रिसदस्यीय समिति की आख्या को स्वीकार करते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर इन्हें समस्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त तीनों कार्मिकों की सेवा की निरन्तरता को मानते हुए यदि उन्हें निलम्बन अवधि का वेतन नहीं दिया गया है तो भुगतान अविलम्ब किया जाये तथा इनके सेवा अभिलेखों में इन आरोपों का इन्द्राज नहीं किया जावे। 7. कार्यपरिषद् की 63वीं बैठक के बिन्दु संख्या 63–28 के क्रम में श्री नाथूलाल सुमन द्वारा प्रेषित खुला लिफाफा, जिसमे श्री प्रकाशानन्द द्वारा शिकायत भेजी गई थी, को पत्रित करने का निर्णय लिया गया।
अन्य बिन्दु कुलपति अध्यक्ष–कार्यपरिषद् की अनुमति से चर्चा कर निर्णय लिये गयेः–		
65–41	प्रो0 रामकिशोर शास्त्री द्वारा डॉ0 माताप्रसाद शर्मा के केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गुरूवायूर परिसर, केरल के कार्यानुभव सत्यापन के संबंध में आसन की अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव।	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गुरूवायूर परिसर, केरल के निदेशक प्रो0 ई0 एम राजन द्वारा कुलसचिव, जरारासंविवि, जयपुर को प्रेषित पत्रांक 478 दिनांक 14.01.2021 के आलोक में यह निर्णय लेती है कि डॉ0 माताप्रसाद शर्मा के अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकरण में सदस्य सचिव कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित प्रकरण पत्रावली पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है। अतः तद्नुसार निर्णय किया जाना उचित रहेगा।
65–42	विश्वविद्यालय में शिक्षकों के सीएएस एवं सातवां वेतन आयोग से संबंधित प्रकरण।	विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा इस प्रकरण में माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया एवं निर्णय लिया गया कि माननीय शिक्षामंत्री महोदय को पत्र लिखकर व्यक्तिशः मिलकर संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही कराई जावे साथ ही कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक प्रशासनिक स्तर पर इसे अवलिम्ब संपादित कराने हेतु निर्देशित किया गया।
65–43	विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अशैक्षणिक कार्मिकों का कार्यालय समय एवं अवकाश कलेण्डर।	1. विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अशैक्षणिक कार्मिकों का समय यू0जी0सी0 एवं राजभवन के निर्देशों की पालना करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रचलित नियमानुसार लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। 2. राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 2021 के अवकाश

11.02.2021

11.02.2021

Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in *ई–मेल - jrrsu@yahoo.com* टेलीफैक्सः 0141 -2850551–75

		कलेण्डर क्रमांक 25387 दिनांक 05.01.2021 को इस विश्वविद्यालय में भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

11.02.2021

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
आर.ए.एस.
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव

11.02.2021

(प्रो0 अनुला मौर्य)
कुलपति एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद्

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि / शै0मि0शा0 / 21 / 6623 - 6628 दिनांकः– 11/2/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव महोदय, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविवि, जयपुर।
5. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्य, ज.रा.रा.सं.वि.वि., जयपुर।
6. वेबसाईट प्रभारी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही विवरण को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

11.02.2021
कुलसचिव